T.A. Misc. Case No. 102/2016-17

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख आवेदक/आवेदिका श्री जगमोहन सिंकु, पिता– स्व० नारायण सिंकु, ग्राम– बड़ानन्दा, थाना– जगन्नाथपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत उपजाति 'हो' के द्वारा खाता संख्या– 89, प्लॉट संख्या– 3886, रकवा– 70.00 (सत्तर) डिसमील भूमि जो मौजा– बड़ानन्दा, थाना संख्या– 718, परगाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है को क्रेता श्री बुधराम पुरती, पिता– पोटा पुरती, ग्राम– कसलापोस, थाना– जगन्नाथपुर, राजस्व थाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत उपजाति 'हो' को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत् 1,40,000.00 (एक लाख चालीस हजार) रूपये में विक्री किये जाने की अनुमति की माँग को लेकर प्रारम्भ किया गया है, आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा निर्गत है। क्रेता विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत उपजाति 'हो' के हैं। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो प्राप्त है। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर का जाँच प्रतिवेदन एवं ग्रामीण मुण्डा के व्यान में विक्री करने हेतु अनुशंसा की गई है। आवेदित भूमि आवेदक जगमोहन सिंकु एवं अनिल सिंकु दोनों के पिता– स्व० नरायण सिंकु के नाम से नामान्तरण वाद संख्या– 69/2008–09 द्वारा नामांतरित है। अनिल सिंकु का देहान्त हो चुका है। चूँकि भूमि का नामान्तरण संयुक्त रूप से है। अतः अनिल सिंकु की पत्नी चाँदमुनी सिंकु का पक्ष जानने के लिए नोटिस कर न्यायालय में उपस्थित होने आदेश दिया गया। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 18.06.2020 को क्रेता, विक्रेता, ग्रामीण मुण्डा तथा स्व० अनिल सिंकु की पत्नी चाँदमुनी सिंकु की उपस्थिति में सुनवाई की गई। श्रीमति चाँदमुनी सिंकु द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित व्यान दिया गया, जो अभिलेख में संलग्न है। उन्होने अपने व्यान में उल्लेख किया है कि विक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता श्री जगमोहन सिंकु के हिस्से का है यदि वे अपनी भूमि बेचते हैं तो उन्हें कोई आपति नहीं है। चाँदमुनी के व्यान पर उस ग्राम के ग्रामीण मुण्डा श्री अंतिम सिंकु का भी हस्ताक्षर प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा विक्री अनुमति की अनुशंसा की गई है। आम सूचना निर्गत किया गया था जिसके उपरान्त कोई भी आपति प्राप्त नहीं हुई है। विक्रेता का गवाही लिया गया, जिसमें अपने हिस्से के कुल रकवा– 9.00 (नौ) एकड़ भूमि में से 70.00 (सत्तर) डिसमील भूमि आवेदक ने घर मरम्मति एवं बच्चों की पढ़ाई हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण विक्री करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। भूमि विक्री के पश्चात् आवेदक के पास 8 एकड़ 30 डी० भूमि शेष बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना जगन्नाथपुर के निवासी है तथा दोनों अनुसूचित जनजाति के हैं।

अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा एवं स्व० अनिल सिंकु की पत्नी श्रीमति चाँदमुनी सिंकु के द्वारा दिये गये अनापति के आलोक में विक्रेता श्री जगमोहन सिंकु के हिस्से की आवेदित भूमि मौजा– बड़ानन्दा, थाना– जगन्नाथपुर, थाना संख्या– 718, खाता संख्या– 89, प्लॉट संख्या– 3886, एवं रकवा– 70.00 (सत्तर) डिसमील भूमि क्रेता श्री बुधराम पुरती, पिता– पोटा पुरती, ग्राम– कसलापोस, थाना– जगन्नाथपुर, राजस्व थाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत उपजाति 'हो' को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत विक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Kamleshwar Narayan
Date: 2024.07.15 14:02:02 +05:30
Location: 192.168.29.83

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

24/6/2020
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Scanned with OKEN Scanner